

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(डी-337) अलेसे-1/2913-17

दिनांक:- 21/03/23

आदेश

श्री दिनेश कुमार खत्री, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिनक नं. 4051) का पदस्थापन विभागीय आदेश संख्या 93/2022-23 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर से जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर में स्थानान्तरणाधीन मानते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर में श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के स्थान पर किया गया था, जिसकी अनुपालना में श्री खत्री द्वारा दिनांक 21.10.2022 को कार्यग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा श्री गुप्ता को दिनांक 27.10.2022 को कार्यमुक्त कर दिया गया था।

निदेशालय के उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर के आदेश दिनांक 14.11.2022 से स्थगन प्राप्त कर लिये जाने के परिणामस्वरूप उक्त कार्यालय द्वारा श्री गुप्ता के वेतन का आहरण किये जाने के कारण श्री खत्री को माह नवम्बर, 2022 से वेतन का भुगतान नहीं हो सका है।

अतः श्री खत्री का माह नवम्बर, 2022 से अग्रिम आदेशों तक का वेतन का आहरण कार्यालय प्राचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र), बाड़मेर से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के रिक्त पद के विरुद्ध करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश मोथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(डी-337) अलेसे-1/2913-17

दिनांक:- 21/03/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र), बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री खत्री के वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।
3. कोषाधिकारी, बाड़मेर।
4. श्री दिनेश कुमार खत्री, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(राजेन्द्र प्रसाद रैंगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)